न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 21 / 2022

1 बलदेवाराम पुत्र गोविन्दाराम जाति जाट निवासी भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र मूनाराम।
2 पूर्णमल पुत्र जीवणराम।
3 नेमीचन्द पुत्र जीवणराम।
4 कानाराम पुत्र जीवणराम।
5 रामू पुत्र जीवणराम।
6 लक्ष्मण पुत्र जीवणराम।
7 भगवानी देवी पत्नी जीवणराम।
8 हरिराम पुत्र उमाराम।
9 परमेश्वर पुत्र उमाराम।
10 संदीप पुत्र उमाराम।
11 राधा देवी पत्नी उमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी हल्का भोजासर बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 10.06.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर मुकदमा नम्बर 14/2016 उनवानी रामचन्द्र बनाम बलदेवा आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 16.02.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आवेदन स्वीकार कर ग्राम भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ के खसरा नम्बर 619 में से रकबा 0.2240 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 662 में से रकबा 0.1320 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 में से 0.1120 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 658 में से 0.2160 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 663 में से 0.2100

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हैक्टेयर उक्तानुसार बिन्दु (अ) के अनुसार रास्ते में कायम करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपील स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में अंकित रास्ते को खसरा नम्बर 663, 619, 662, 658 में यथावत रखा जाता है। खसरा नम्बर 622 में अंकित रास्ते में दिये गये रकबा 0.03 हेक्टेयेर को विलोपित किया जाकर खसरा नम्बर 619 में अंकित रास्ते के रकबे में रकबा 0. 07 हैक्टेयर के स्थान पर 0.10 हैक्टेयर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर